Dr. P. Subbarayan: In case my hon. friend Shri S. M. Banerjee is not well acquainted with parliamentary procedure, I might tell him that unless a poll is called for, generally, the Speaker or whoever is presiding in the Chair, decides in favour of Government.

Mr. Chairman: I shall put the motion again to vote.

The question is:

"That the Bill further to amend the Air Corporations Act, 1953, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration".

Those in favour will say 'Aye'.

Some Hon. Members: 'Aye'.

Mr. Chairman: Those against will say 'No'.

Some Hon. Members: 'No'.

Shri Chairman: The 'Ayes' have it.......

Shri Sadhan Gupta: The 'Noes' have it....

Mr. Chairman: Then, those who are opposed to this motion will kindly rise in their seats.

Shri Sadhan Gupta: On a point of order. No division can take place before 2-30 p.m. Secondly, this is such an important Bill that we wish to go on record, especially those of us who are not coming back again.

Mr. Chairman: In that case, this would be deferred till 2.30 p.m. Until the consideration motion is disposed of, we cannot proceed with the further stages of the Bill. In the meantime, we shall take up the next Bill on the Order Paper.

14.15 hrs.

HINDI SAHITYA SAMMELAN BILL

The Minister of Education (Dr. K. L. Shrimali): I beg to move:

"That the Bill to declare the institution known as the Hindi Sahitya Sammelan having its head office at Allahabad to be an institution of national importance and to provide for its incorporation and matters connected therewith, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration".

While moving this motion, I should like to say a few words with regard to the background under which this measure has been brought forward before this House.

This is a non-controversial measure. It has already received the unanimous support of the other House, and I feel sure that this House also would bless this measure, and it would soon be passed into an Act.

The story of Hindi Sahitya Sammelan is known to most of the Members who have been interested in the progress of Hindi. The Sammelan was established in 1910, and it has a glorious record of service for nearly half a century. It has been associated with some of our best leaders in public life including Mahatma Gandhi, and it has developed into a truely national institution. It has a very fine library, one of the best in the country, and also a collection of rare and ancient manuscripts which also, I believe, is one of the best in the country.

The Sammelan has its branchs all over the country. It conducts examinations which have been recognised by the Government and by the universities as equivalent to matric, B.A., and some post- graduate examinations also.

The Sammelan has unfortunately fallen to evil days. After the declaration of Hindi as the official language of the Union, it was deemed necessary to make certain changes in the constitution of the Sammelan. A session was held at Hyderabad and a resolution was passed for the amendment of the constitution, and a committee of 21 members was constituted to revise the rules and place its recommendations before a special session of the Sammelan to be held at

[Dr. K. L. Shrimali]

Patna. The Sammelan had a special session at Patna, but, unfortunately, certain differences arose among the members, and another session was held at Kotah in December, 1950, and somehow or other, on account of the group rivlaries which unfortunately had developed in this institution, they could not come to an agreement. The present position is that the Sammelan is in the hands of an official receiver.

Various efforts were made by the U.P. Government and also by various people to bring about some kind of amicable settlement between these two conflicting groups, but unfortunately, all the efforts have failed so far, and there is no other remedy but to pass a legislation and rescue this institution out of the difficulty into which it has got itself.

The U.P. Government passed an Act in 1956. Again, that Act was declared *ultra vires*, because the High Court ruled that since the scope of the Sammelan was not confined to U.P. only but extended to other parts of the country as well, the U.P. Government were not competent to enact legislation. So, the Government of India have considered the matter. In fact, this matter has been before Government for the last several years, and representations have come to Government from writers and from lovers of Hindi all over the country. It is under these circumstances that we have brought forward this measure.

With regard to the income of the Sammelan, it is supporting, itself at the present moment. Government do give some grants to the institution, but they are mainly grants given for certain development purposes. The income of the Sammelan during 1959-60 was about Rs. 4·25 lakhs and the total expenditure during the same period about Rs. 2·52 lakhs. There was this a saving of nearly Rs. 1.73 lakhs. It is estimated that 1960-61, there was an income of about Rs. 3·5 lakhs. So it is not necessary at present to present any financial memorandum. In fact, there is no financial memorandum for this very reason that the institution can support itself. Government have been giving grants to the institution for certain specific purposes and, of course, those will be continued.

Dr. M. S. Aney (Nagpur): What is the source of its income—publications?

Dr. K. L. Shrimali: Publications, but mainly examination fees. It conducts examinations all over the country.

In the first place, we would like this institution to function as an autonomous body. But before it can do so, its autonomy has to be restored because at present it is defunct—a dead institution. Therefore, we are proposing to have a first Governing Body which will be completely nominated. It will consist of a Chairman, Secretary and 13 other members, all nominated by the Central Government. Its function will be to clear the stables and determine what kind of membership there should be and so on. After this has been done, another Governing Body which will not be completely nominated—in fact, most of the members will be chosen according to the rules prepared by the Governing Body—will come into existence.

Clause 12 of the Bill empowers this Governing Body to make, with the approval of the Central Government, the rules of the Sammelan. The matters in respect of which regulations may be made relate to membership including qualifications and disqualifications of membership of the Sammelan, powers and functions of the Governing Body, conduct of elections for the constitution of the Governing Body and the decisions on doubts and disputes at or in connection with the said elections etc. These are matters of detail and, therefore, no mention has been made in the Act itself. It is the Governing Body which will take care of these rules. Clause 12

also provides for the appointment of an executive committee which will be mainly the executive body of the Sammelan.

These are the main provisions of the Bill. As I said, it is one of our premier institutions. Unfortunately, due to inner factions and disputes, the institution is not functioning as an active organisation. This institution, if rveived, can function as an instrument for the propagation and development of Hindi. As I said, it had rendered great service to the country. The Sammelan had focussed the attention of the country on the need for development of Hindi. One of its earlier founders, Shri Purushottamdasji Tandon is, unfortunately, confined to bed at the present moment, has been connected with this institution for all these years. He had dedicated himself to the service of this institution. I am sure this House would like that at this time when he is confined to bed, this institution must be restored to its former position so that it may give him a new lease of life and he may continue to live for many more years to serve the country.

Mr. Chairman: Motion moved:

"That the Bill to declare the institution known as the Hindi Sahitya Sammelan having its head office at Allahabad to be an institution of national importance and to provide for its incorporation and matters connected therewith, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration".

डा० गोविन्द दास (जबलपुर) : सभापति जी, मैं इस प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करना चाहता हूं । मैं डा० श्रीमाली जी को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि उन्हों ने अपने कार्य-काल में इस प्रकारका विधेयक हमारे सामने उपस्थित किया । हिन्दी का उन्हों ने बहुत काम किया है ।

14.26 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

केन्द्रीय सरकार से हमारी हमेशा यह शिकायत रही है कि वह हिन्दी का काम बहुत धीरे धीरे कर रही है । उन के कार्य-काल में इस काम में तेज़ी आई है, यद्यपि जितना संतोष हम लोगों को केन्द्रीय सरकार के द्वारा हिन्दी के कार्य के संबंध में होना चाहिये, उतना संतोष हमें अभी भी नहीं है । फिर भी मैं यह कहे बग़ैर नहीं रह सकता कि श्रीमाली जी के यहां आने के बाद और उन के एक सैक्रेटरी के रूप में हमारे मध्य प्रदेश से श्री रमाप्रसन्न नायक जी के आने के बाद केन्द्रीय सरकार में हिन्दी के काम में अवश्य प्रगति हुई है ।

जैसाकि डा० श्रीमाली ने कहा है, सम्मेलन की स्थापना आज से कोई बावन वर्ष पूर्व १६१० में वाराणसी में हुई थी । उस के पहले अध्यक्ष महामना मालवीय जी थे । दो बार मालवीय जी इस के अध्यक्ष हुए । दो बार गांधी जी इस के अध्यक्ष हुए । एक बार हमारे वर्तमान राष्ट्रपति, डा० राजेन्द्र प्रसाद जी इस के अध्यक्ष हुए । एक बार हमारे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन इस के अध्यक्ष हुए ।

अहिन्दी-भाषाभाषी भी इस संस्था के अध्यक्ष हो चुके हैं । श्री अमृतलाल चक्रवर्ती, पंडित माधवराव सप्रे, श्री बाबूराव विष्णु पराड़कर, श्री गौरीशंकर हीराचंद ओझा और श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ऐसे अहिन्दी-भाषाभाषी लोग हैं, जिन्हों ने इस पद को गौरवान्वित किया है । टंडन जी पंद्रह वर्ष तक इस संस्था के कार्य-संचालक अध्यक्ष रहे और दस वर्ष तक प्रधान मंत्री ।

आधुनिक युग में इस देश में दो सार्वजनिक संस्थायें स्थापित हुईं—एक कांग्रेस और दूसरा सम्मेलन ।

[डा० गोविन्द दास]

14.29 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

कांग्रेस ने हम को स्वाधीनता दिलाई और सम्मेलन ने हम को वाणी की स्वतंत्रता देने का प्रयत्न किया । स्वाधीनता के पश्चात् वाणी की स्वतंत्रता मानव के लिए सबसे अधिक आवश्यक है । मानव में और दूसरे प्राणियों में जो अन्तर है, वह यह है कि निसर्ग ने मानव को जो ज्ञान-शक्ति दी है, वह किसी दूसरे प्राणी को नहीं दी । उस ज्ञान के कारण मानव जैसी वाणी बोलता है, अन्य जीव नहीं बोलते । हमारी पराधीनता का यह सब से बड़ा अभिशाप था कि एक विदेशी भाषा हमारे ऊपर लदी रही । सम्मेलन ने जब हम परतंत्र थे उस समय से इस बात का प्रयत्न किया कि जो भाषा इस देश के लगभग आधे लोगों की मातृभाषा है और जिसे दक्षिण के कुछ भागों को छोड़ कर शेष सारा भारतवर्ष समझता है, उस भाषा को उस का उचित स्थान मिले । यह सब से बड़ा प्रयत्न सम्मेलन ने किया । हिन्दी भाषा को राष्ट्र भाषा के पद पर आसीन कराने का प्रयत्न उस ने किया । फिर समूचे भारत में हिन्दी का उस ने प्रचार किया । दक्षिण भारत में हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना कर शेष पूर्वी और पश्चिमी भाग में राष्ट्र भाषा प्रचार समिति की स्थापना कर भारत के हर राज्य में एक शाखा और अधिकांश राज्यों में एक एक भवन और उन शाखाओं की उप-शाखायें हर जनपद में स्थापित हुईं जहां वैतनिक और अवैतनिक दोनों प्रकार के लोग कार्य करते हैं । भारत के बाहर भी लंका में, बर्मा में, मारिशस में हिन्दी साहित्य सम्मेलन की शाखायें हैं ।

परीक्षायें सम्मेलन लेता है । दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा और राष्ट्र भाषा प्रचार समिति की भी परीक्षायें होती हैं । राष्ट्र भाषा प्रचार समिति की परीक्षाओं में प्रतिवर्ष कोई सवा लाख विद्यार्थी बैठते हैं । संसार की किसी भी भाषा की केवल साहित्यिक परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की इतनी बड़ी संख्या नहीं है ।

लगभग पांच सौ प्रकाशन इस सम्मेलन के द्वारा हुए हैं । कोषों की बड़ी कमी थी जो हमें खटकती थी । पारिभाषिक शब्द कोष पहला कोष है जो लगभग बारह वर्ष पूर्व सम्मेलन ने बनाया । शासन शब्द कोष भी बारह वर्ष पूर्व सम्मेलन ने प्रकाशित किया । समाचारपत्र शब्द कोष कोई बीस वर्ष पूर्व सम्मेलन के द्वारा प्रकाशित हुआ । हिन्दी विज्ञान कोष, मानक हिन्दी कोष, संस्कृत हिन्दी कोष इस प्रकार के कोष अब तक सम्मेलन प्रकाशित कर चुका है । सरकार के पास सम्मेलन ने दो कोषों की योजना को रखा है जो सरकार के द्वारा विचाराधीन हैं, एक धर्म तथा नीति कोष, रिलिजन एंड एथिक्स और दूसरा समाज शास्त्र विश्व-कोष, सोशल साइंसिस का । प्रकाशनों में इस बात का ध्यान रखा गया है कि मानव ज्ञान के जो दो मोटे विभाग हैं, एक विज्ञान और एक ललित कला, उन दोनों को इसके प्रकाशनों में स्थान मिले और आप देखें कि पांच सौ जो प्रकाशन सम्मेलन के द्वारा हुए हैं, यह कितना बड़ा क्षेत्र है कि जिस में सम्मेलन ने प्रकाशन का कार्य किया है ।

संग्रहालय की चर्चा अभी श्रीमाली जी ने की । शायद हिन्दी का कोई ग्रन्थ ऐसा नहीं है जो प्रकाशित हुआ हो और जो सम्मेलन के संग्रहालय में न हो । हस्तलिखित ग्रंथ भी वहां बहुत हैं । भारतवर्ष का हिन्दी का सब से बड़ा यह संग्रहालय है ।

खेद की बात है कि कोई बारह वर्ष से एक विवाद खड़ा हो गया । इस विधेयक के द्वारा उसका अन्त होगा । इस विधेयक के कुछ विरोधी भी हैं । वे कहते हैं कि सरकारी हस्तक्षेप पर यह संस्था सरकारी हो जायेगी ।

मैं उन से कहना चाहता हूं कि पहले तो उन्हें इस बात में भेद करना चाहिए कि आज जो सरकार है वह हमारी सरकार है । दूसरे इस विधेयक के बनने से यह संस्था सरकार की किसी प्रकार नहीं हो सकती और उसी प्रकार की यह संस्था हो सकती है जिस प्रकार हमारे विश्वविद्यालय आदि हैं । यह तो सम्मेलन के लिए और हिन्दी भाषा भाषियों के लिए बड़े गौरव की बात है कि हिन्दी की इतनी बड़ी संस्था को यह पद दिलाया जा रहा है । पहले जैसे ही गवर्निंग काउंसिल बनेगी वह नियमावली का निर्माण करेगी और उस नियमावली के बाद यह संस्था उसी प्रकार की एक संस्था हो जायेगी जिस प्रकार की संस्थायें विश्वविद्यालय हैं या ऐसी ही दूसरी संस्थायें हैं । इस विधेयक का यह अर्थ कदापि नहीं हो सकता और यह भ्रम लोगों के मन में से दूर हो जाना चाहिए कि इस विधेयक के पास होने का अर्थ सम्मेलन का सरकारी संस्था हो जाना है । यह बात नहीं होने वाली है ।

एक बात अवश्य है कि इन झगड़ों के कारण हम ने एक बात देखी है कि चुनाव इत्यादि का जो पचड़ा होता है वह अगर रचनात्मक संस्थाओं में भी आ जाये तो उनकी बड़ी हानि होती है । महात्मा गांधी ने इसी लिए जितनी रचनात्मक संस्थायें स्थापित कीं, उनमें चुनाव या इस प्रकार की चीज को अलग रखा । मैं आशा करता हूं कि गवर्निंग बाडी भी इस प्रकार की नियमावली बनायेगी कि जिस में चुनाव इत्यादि का पचड़ा इतने अधिक परिमाण में न आने पाये कि आगे चल कर फिर इस में इस प्रकार के झगड़े उठ सकें ।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : आप डिक्टेटरशिप चाहते हैं ?

डा० गोविन्द दास : मैं डिक्टेटरशिप नहीं चाहता । लेकिन यह मैं जरूर चाहता हूं कि जिस तरह से गांधी जी चाहते थे कि ये रचनात्मक संस्थायें काम करें, उस तरह से यह संस्था भी काम करे । गांधी जी डिक्टेटर नहीं थे । लेकिन यह बात जरूर है कि वे चाहते थे कि रचनात्मक संस्थाओं में इस प्रकार का चुनाव का पचड़ा न आ जाये कि जिससे, जिस तरह के झगड़े अभी सम्मेलन में उठे और बारह वर्ष तक सम्मेलन कोई कार्य नहीं कर सका, उस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो ।

राज्य सभा में इस विधेयक पर काफी बहस हुई और उस बहस के दौरान में एक प्रश्न और उठा और वह हिन्दी के स्वरूप के सम्बन्ध में है । मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दी के स्वरूप का विषय बार बार जिस को अंग्रेजी में एबुडास चैस्ट कहते हैं, उस रूप में हमारे सामने आता है । इस विषय में बहुत से भ्रम लोगों के मनों में हैं । एक बात में कोई सन्देह नहीं हो सकता और इस पक्ष में सब लोग हैं कि हिन्दी का स्वरूप सरल से सरल होना चाहिए । लेकिन सरल स्वरूप कौन सा समझा जाये यह बड़े विवाद का प्रश्न है । कुछ लोग अरबी और फारसी या उर्दू-मिश्रित शब्दावली को हिन्दी का सरल स्वरूप मानते हैं । कुछ लोग संस्कृत से मिश्रित शब्दों वाली हिन्दी का सरल स्वरूप मानते हैं । अभी राज्य सभा में जब इस पर विवाद हो रहा था तब श्री मलकानी जी और संतानम साहब के जो भाषण हुए उस में विषय और भी स्पष्ट हो गया । मैं कहना चाहता हूं कि यदि हम पंजाब और दिल्ली और उत्तर के कुछ क्षेत्रों को छोड़ दें तो बाकी जितना भारतवर्ष है उसमें संस्कृत मिश्रित शब्दों की ही हिन्दी का सरल स्वरूप माना जायेगा क्योंकि गुजराती, मराठी, बंगला, उड़िया, असमिया, यहां तक कि तेलेगू, मलायालम और कन्नड़ भी संस्कृत से निकली हैं या कम से कम इन तीन दक्षिण की भाषाओं में यानी मलयालम, कन्नड़ और तेलेगू में पचास प्रतिशत से ऊपर संस्कृत के शब्द हैं । तमिल भाषा को अगर हम छोड़ दें जिस में भी पर्याप्त मात्रा में संस्कृत के शब्द हैं, तो भी बाकी जितनी भाषायें हैं वे सब संस्कृत से निकलने के कारण या उन में

[डा० गोविन्द दास]

संस्कृत शब्दों के मिश्रित होने के कारण संस्कृत शब्दों के बाहुल्य वाली जो हिन्दी है, वही सरल मानी जा सकती है ।

लेकिन जैसा मैंने अभी निवेदन किया कि भाषा सरल हो इस में किसी का मतभेद नहीं । जो शब्द हमारी भाषा में अरबी या फारसी या दूसरी भाषाओं के आ गये हैं, अंग्रेजी के आ गये हैं, उनको अलग नहीं करना चाहिए । लेकिन एक बात इसी के सम्बन्ध में और है कि भाषा विषय के अनुसार चलती है । आज भी आप अंग्रेजी के फर्स्ट क्लास एम० ए० के सामने अगर कोई वैज्ञानिक पुस्तक रख दें जैसी एलोपैथी की या और किसी विज्ञान की तो उसकी समझ में एक अक्षर भी नहीं आ सकता । इसलिए शास्त्रीय या वैज्ञानिक पुस्तकों की भाषा को सरल भाषा बनाने का प्रयत्न करना, असम्भव बात है । दुनिया की किसी भाषा में यह नहीं हुआ है और न होने वाला है । इसलिए जैसा मैंने निवेदन किया है भाषा सदा विषय के अनुसार चलती है । उपन्यास की भाषा, कहानी की भाषा, लेख की भाषा, अखबार की भाषा, ये सब सरल रह सकती हैं और रहनी चाहिये भी । लेकिन कविता की भाषा उतनी सरल नहीं रह सकती और वैज्ञानिक तथा शास्त्रीय भाषा तो सरल रह ही नहीं सकतीं । इसलिए जब हम ने संविधान बनाया उस समय स्पष्ट कर दिया कि मुख्यतः हमारी शब्दावली संस्कृत से आयेगी । हमारे संविधान में यह बात लिखी हुई है । इसी लिए आज जो वैज्ञानिक शब्दावली बन रही है मेरा इससे सदा मतभेद रहा है । इस शब्दावली को अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली समझना मेरी दृष्टि में बहुत भूल है । अंग्रेजी की शब्दावली को आज यदि हम देखें तो इंग्लिस्तान, अमरीका और इंग्लैंड को जो चार कौलोनीज़ हैं, उपनिवश हैं, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अफ्रीका, इनको छोड़ कर वह शब्दावली कहीं नहीं चलती । फ्रांस में वह शब्दावली नहीं चलती, जर्मनी में नहीं चलती, रूस में नहीं चलती । इसलिए यह कहना कि हम वैज्ञानिक शब्दावली को, अंग्रेजी शब्दावली, इंटरनैशनल शब्दावली मान कर बनायें तो यह कोई ठीक चीज नहीं है । इस मामले में जो प्रयत्न किये जाते हैं, मुझे भय है कि २० वर्षों बाद वे सारे प्रयत्न निरर्थक हो जायेंगे । २० वर्षों के बाद हम को नई शब्दावली बनानी पड़ेगी । यह विषय कोई १००, ५००, १०००, २०००, शब्दों का नहीं है । यह लाखों शब्दों का विषय है । हम अंग्रेजी की वैज्ञानिक शब्दावली को अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली मान कर वैसे का वैसा स्वीकार कर लें तो जो हमारे संविधान में यह कहा गया है कि हमारी शब्दावली प्रधानतया संस्कृत से ली जायेगी, यह उस के पूर्णतया विरुद्ध होगा, यह हमारे संविधान के विरुद्ध जाना होगा । इस लिये मैं आप से कहना चाहता हूं कि भाषा विषय के अनुसार चलने के कारण हमें अपनी वैज्ञानिक शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली मुख्यतया संस्कृत से लेनी चाहिये ।

जहां तक हमारी राज्य सभा के वाद-विवाद का सम्बन्ध है, मैं यहां पर कोई उस प्रकार का विवाद नहीं उठाना चाहता, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि श्री काका साहब कालेलकर का, जिन के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है, भाषण जो वहां पर हुआ वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण भाषण हुआ । मैं काका साहब के सदृश एक ऐसे वरिष्ठ नेता, साहित्यकार और एक ऐसे व्यक्ति से जिन का सम्मेलन से और पूज्य टंडन जी से सम्बन्ध रहा है, इस प्रकार के भाषण की आशा नहीं करना था । उन्होंने टंडन जी के लिये न जाने क्या क्या कह दिया, सम्मेलन के लिये क्या क्या कह दिया, सम्मेलन वालाज, यू० पी० वालाज और नहीं मालम किन किन शब्दों का प्रयोग किया, जो कि उन की प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं था । मैं ने आप से कहा कि मैं कोई विवाद नहीं उठाना चाहता, लेकिन मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि जहां तक राजर्षि टंडन जी का सम्बन्ध है और हिन्दी के सम्बन्ध में उन के

कार्यों का सम्बन्ध है, उस में साम्प्रदायिकता को ढूंढना या उन के काम में कुछ दकियानूसियत को ढूंढना या उन के काम में इस तरह की बातों को ढूंढना बड़े से बड़ा अन्याय है । टंडन जी ने हिन्दी भाषा के लिये, सम्मेलन के लिये और इस देश के लिये जो कुछ किया है वह इस देश के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा । मैं आशा करता हूं कि जब काका साहब अपने भाषण पर पुनर्विचार करेंगे तो उन्हें स्वयम् खेद होगा कि उन्होंने किस प्रकार के शब्दों का और किस प्रकार की भावनाओं का उपयोग राज्य सभा में अपने भाषण में किया । जैसा मैं ने आप से कहा, काका साहब के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है, मैं उन की इज्जत करता हूं और इस लिये मुझे उन के भाषण को सुन कर दुःख हुआ । मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार के जो भ्रम हैं, जो भावनायें हैं, उन का अन्त होगा ।

जैसा मैं ने आप से निवेदन किया इस देश में वर्तमान युग में दो ही बड़ी सार्वजनिक संस्थायें बनी थीं : एक कांग्रेस जिस ने हमें स्वतंत्रता दिलाई और दूसरे सम्मेलन जिस ने हमें वाणी की स्वतन्त्रता दी । वाणी की स्वतन्त्रता मानव के लिये मैं राजनीतिक स्वतन्त्रता से कम नहीं मानता । इस सम्मेलन का इस विधेयक से इस प्रकार का स्वरूप हो जायेगा कि जिस से उस ने जो काम आज तक किया है वह और बढ़ जायेगा और इस का बहुत बड़ा श्रेय केन्द्रीय सरकार को होगा । मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं ।

14·44 hrs.

AIR CORPORATIONS (AMENDMENT) BILL— *contd.*

Mr. Speaker: The consideration motion in respect of the Air Corporations (Amendment) Bill which was held over has to be voted by the House.

The question is:

"That the Bill further to amend the Air Corporations Act, 1953, as passed by the Rajya Sabha be taken into consideration."

The Lok Sabha divided:

Shri N. B. Maiti (Ghatal): I have voted for abstention by mistake. It should be "Aye".

Mr. Speaker: Plus one for "Ayes".

Division No. 4] AYES **[14.48 hrs.**

Agarwal, Shri Manakbhai
Ambalam, Shri Subbiah
Aney, Dr. M.S.
Arumugham, Shri S.R.
Bahunath Singh, Shri
Barman, Shri
Basumatari, Shri
Bhakt Darshan, Shri
Bhatkar, Shri
Bhoji Bhai, Shri
Bidari, Shri
Bist, Shri J.B.S.
Biswas, Shri Bholanath
Brahm Prakash, Ch.
Brajeshwar Prasad, Shri
Chettiar, Shri Ramanathan
Chuni Lal, Shri
Damani, Shri
Das, Dr. M.M.
Das, Shri N.T.
Dasappa, Shri
Deshmukh, Shri K.G.
Dindod, Shri
Dwivedi, Shri M. L.
Ganapathy, Shri
Gautam, Shri C.D.
Govind Das, Dr.
Gupta, Shri Ram Krishan
Hajarnavis, Shri
Hansda, Shri Subodh
Hazarika, Shri J.N.
Heda, Shri
Hem Raj, Shri
Hukam Singh, Sardar
Jena, Shri K.C.
Jyotishi, Pandit J.P.
Kayal, Shri P. N.
Kiledar, Shri R.S.
Koratkar, Shri
Kotoki, Shri Liladhar
Krishna, Shri M.R.
Lachhi Ram, Shri
Mahadeo Prasad, Shri
Maiti, Shri N.B.
Mandal, Shri J.
Mandal, Dr. Pashupati
Maniyangadan, Shri
Masuriya Din, Shri
Mathur, Shri Harish Chandra
Mehta, Shri J.R.
Mehta, Shrimati Krishna
Minimata, Shrimati
Mishra, Shri Bibhuti
Misra, Shri B.D.
Mohideen, Shri Gulam
Mohiuddin, Shri
Murthy, Shri M.S.
Muthukrishnan, Shri
Nair, Shri Kuttikrishnan
Naldurgkar, Shri
Nallakoya, Shri,
Nanjappa, Shri
Nehru, Shrimati Uma
Oza, Shri
Pahadia, Shri
Palaniyandy, Shri
Palchoudhuri, Shrimati Ila
Panna Lal, Shri